राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(ग)( )जयपुर/अलेस–I/2018 / 554 दिनांक 06/11/19

आदेश

विभाग के आदेश संख्या एफ.2(ग)( )जयपुर/अलेस–I/2018 / 889 दिनांक 04.01.2019 के द्वारा प्री. 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु पेन्शन संशोधन दल में पूर्व में लगाये गये श्री कालूदास, श्री मूलचन्द सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं श्री सतीश कुमार औदिच्य, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के स्थान पर निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को सेकिण्डमेन्ट के आधार पर सम्बन्धित कोषालय में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :–

क्रमांक	सहायक लेखाधिकारी का नाम		पदस्थापित विभाग / कार्यालय का नाम	कोषालय का नाम पेशन संशोधन कार्य किया जाना है
	लिंक नम्बर	नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I / सलेअ–II		
1	4	5	6	7
1.	3410	बालमुकुन्द व्यास सलेअ–I	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर	कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर
2.	6093	नन्दकिशोर व्यास सलेअ–I	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, जोधपुर	कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर
3.	5667	विकास सदावत सलेअ–I	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर (आं.जां.दल)	कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर
4.	8768	महेन्द्र राखेचा सलेअ–II	पुरालेख अधिकारी राजस्थान राज्य कला एवं संस्कृति, जोधपुर	कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर

उक्तानुसार उक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I अपने वर्तमान कार्यालय के साथ साथ प्री. 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शन में संशोधन उपरान्त पीपीओ पर हस्ताक्षर करने हेतु वित्त (बीमा/ पेन्शन) विभागके पत्र क्रमाक प10(7)वित्त/राजस्व/2013लूज दिनांक 06.08.2018 के निर्देशानुसार अधिकृत किया जाता है साथ ही उक्तानुसार कालम संख्या 5 में अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर सम्बन्धित कोषाधिकारी के पास अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें । इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जावेगा ।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक
दिनांक 06/11/19

क्रमांकः एफ.2(ग)( )जयपुर/अलेस–I/2018 / 554
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेन्शन) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग,, राजस्थान जयपुर ।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर ।
5. सयुंक्त निदेशक (कोष) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर को उनके पत्र 5021 दिनांक 01.11.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि यदि उक्त कार्मिक तत्काल आपके पास रिपोर्ट नहीं करते है तो कृपया अविलम्ब ई–मेल jdp1-ta-rj@nic.in पर इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें ।
7. सम्बन्धित विभाग/ कार्यालयाध्यक्ष ....को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/ सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को सातवें वेतन आयोग के आधार पर प्री 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शनर्स की पेन्शन संशोधन हेतु तत्काल कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था करने का श्रम करावें। आप द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में यदि आपके क्षेत्राधिकार स्थित कोषालय में पेन्शन संशोधन का कार्य प्रारम्भ नहीं होता है अथवा यह महत्वपूर्ण कार्य पिछडता है तेा ऐसी अप्रिय एवं अस्वीकार्य स्थिति की जिम्मेदारी इस निदेशाालय की नहीं होगी ।
8. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/ सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II .... को भेजकर लेख है कि आप सम्बन्धित कोषालय में प्री2016 के पेन्शनर्स की पेन्शन संशोधन हेतु अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कर सूचित करें तथा यदि आपको तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अविलम्ब ई–मेल jdp1-ta-rj@nic.in एवं दूरभाष नम्बर 0141-2774134 इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें ।
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर, Website-dta.raj.nic.in, e-mail ID- jdp1-ta-rj@ nic. in
Tel : 0141-2744134, Fax : 2740239, 2740735